

:: आदेश ::

उत्तर प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, की प्रबन्धकारिणी परिषद की दिनांक 05.04.2018 को सम्पन्न 104वीं बैठक में दिये गये निर्णयानुसार प्रमाणीकरण शुल्कों की वर्तमान दरों को एतत् द्वारा दिनांक 12.04.2018 से संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	प्रमाणीकरण शुल्क की मद	वर्तमान दर	संशोधित दर
1.	2.	3.	5.
1.	निरीक्षण शुल्क	रु० 450.00 प्रति हेक्टेयर	रु० 565.00 प्रति हेक्टेयर
2.	पुनः निरीक्षण शुल्क	रु० 450.00 प्रति हेक्टेयर	रु० 565.00 प्रति हेक्टेयर
3.	विधायन शुल्क	रु० 7.50 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 750.00 प्रति पारी	रु० 9.40 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 940.00 प्रति पारी
4.	पुनः विधायन शुल्क	रु० 5.00 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 500.00 प्रति पारी	रु० 6.25 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 625.00 प्रति पारी
5.	पैकिंग सुपरवीजन चार्ज	रु० 6.00 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 600.00 प्रति पारी	रु० 7.50 प्रति कुन्तल या उसका कोई भाग, न्यूनतम रु० 750.00 प्रति पारी
6.	सीलिंग सुपरवीजन चार्ज	रु० 4.50 प्रति कुन्तल	रु० 5.60 प्रति कुन्तल
7.	नवीनीकरण शुल्क	रु० 37.00 प्रति कुन्तल न्यूनतम रु० 370.00 प्रति लाट	रु० 46.00 प्रति कुन्तल न्यूनतम रु० 460.00 प्रति लाट
8.	न्यादर्श परीक्षण शुल्क सामान्य, नवीनीकरण एवं सर्विस न्यादर्श	रु० 225.00 प्रति न्यादर्श	रु० 280.00 प्रति न्यादर्श
9.	बीज विधायन संयंत्र पंजीकरण शुल्क 2 नवीनीकरण शुल्क	रु० 7500.00 प्रति बीज विधायन संयंत्र रु० 3000.00 प्रति बीज विधायन संयंत्र प्रतिवर्ष	रु० 9400.00 प्रति बीज विधायन संयंत्र रु० 3750.00 प्रति बीज विधायन संयंत्र प्रतिवर्ष
10.	प्रमाणीकरण सामग्री (अ) टैगिंग शुल्क (i) 10 किग्रा० पैकिंग तक (ii) 10 किग्रा० से अधिक पैकिंग पर (ब) लेबल चार्ज	रु० 4.50 प्रति टैग रु० 9.00 प्रति टैग रु० 4.50 प्रति लेबल	(अ) टैगिंग शुल्क (i) 10 किग्रा० पैकिंग तक रु० 5.60 प्रति टैग (ii) 10 किग्रा० से अधिक पैकिंग पर रु० 11.25 प्रति टैग रु० 5.60 प्रति लेबल
11.	गोआउट परीक्षण शुल्क	रु० 450.00 प्रति लाट	रु० 560.00 प्रति लाट


2-उक्त प्रमाणीकरण शुल्क दिनांक 12.04.2018 से संशोधित दर से चार्ज किये जायेंगे तथा इस सम्बन्ध में शेष व्यवस्थायें यथावत् लागू रहेंगी।

(प्रभात कुमार अवस्थी)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक

उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था,
राजकीय उद्यान परिसर, आलमबाग, लखनऊ-226005

पत्रांक : बी०प्र० 344 / 2018-19 लखनऊ: दिनांक: 12 अप्रैल, 2018
प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, उ०प्र० कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उ०प्र० बीज विकास निगम, फैजाबाद रोड, लखनऊ।
6. निदेशक(शोध), चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर।
7. निदेशक(शोध), नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद।
8. निदेशक(शोध) सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम्, मेरठ।
9. निदेशक (शोध), सैम हिगिनबॉटम इन्स्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, टेक्नालॉजी एण्ड साइंसेज, नैनी इलाहाबाद।
10. क्षेत्रीय प्रबन्धक, राष्ट्रीय बीज निगम, आलमबाग, लखनऊ।
11. वित्त नियन्त्रक, कृषि भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
12. संयुक्त निदेशक, उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।
13. उपनिदेशक/प्रभारी उपनिदेशक, उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, आगरा/अलीगढ़/
बरेली/मेरठ/मुरादाबाद/बिलासपुर/पीलीभीत/पूरनपुर/मुजफ्फरनगर/लखीमपुर-खीरी
/लखनऊ (संभाग एवं मुख्यालय)/फैजाबाद/गोरखपुर/वाराणसी/ इलाहाबाद/उरई/
इटावा/कानपुर के इन निर्देशों के साथ प्रेषित की आप अपने स्तर से क्षेत्र की समस्त
बीजोत्पादक विभागों एवं संस्थाओं आदि को सूचित करें।
14. वित्त एवं लेखाधिकारी, उ०प्र० राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, लखनऊ।


(प्रभात कुमार अवरथी)
वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक